चन्द्रदेव बनाम मानकी 14/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.2.25	पत्रावली पेश। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रा.पत्र वाजदायरी व मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत किया गया। मूल अपील का निस्तारण तकनिकि आधार पर नहीं बल्कि गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर होगा। अतः वाजदायरी प्रा.पत्र स्वीकार कर मूल अपील पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय पर उपलब्ध पुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से उक्त होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	